

आदेश व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 373/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी बैंक लि. शाखा सी स्कीम-जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. ऋषिकेश जोशी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी
2. सुरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा
3. मनीष जोशी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार


पता-348, गोपाल नगर, बसवा रोड, बांदीकुई, जिला दौसा एवं

67, (दक्षिण भाग) नारायण विहार आर, श्रंगारपुरा मानसरोवर के पास, तहसील संगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation
and reconstruction of financial assets and
enforcement of security interest Act. 2002



उपस्थित :-

1. श्री नवीन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक: 12.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.12.2012 को भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री ऋषिकेश जोशी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा व मनीष जोशी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति 67, (दक्षिण भाग) नारायण विहार आर, श्रंगारपुरा, मानसरोवर के पास, तहसील संगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक कर कुल राशि 26,72,510/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.06.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 26,72,510/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 23,60,487 रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 04.06.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री ऋषिकेश जोशी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा व मनीष जोशी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति 67, (दक्षिण भाग) नारायण विहार आर, श्रंगारपुरा, मानसरोवर के पास, तहसील संगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज 1 का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



7. आदेश आज दिनांक 12.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/1/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कानून) जयपुर